अनूप कुमार यादव
आई०ए०एस०

अ०शासकीय पत्र सं०–616?? /दि०स०/17-18

निदेशक
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उ०प्र, लखनऊ
दिनांक : 19 जुलाई, 2017

प्रिय महोदय,

कृपया प्रमुख सचिव,दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,उ०प्र०शासन के अ०शा० पत्र सं०–1287(9)65–2–2017 दिनांक–27 जून 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि जनपद में दिव्यांग पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के आधार कार्ड सीडिंग से सम्बन्धित कार्य में विशेष रूचि लेते हुए नीति आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा सितम्बर, 2017 तक पूर्ण कराने की अपेक्षा की गयी है।

दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त लाभार्थियों के बैंक खातों को आधार संख्या से जोड़ा जाना है। इस सम्बंध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पूर्व में ही निर्देशित किया गया है कि लाभार्थियों के आधार संख्या संकलन के दौरान यदि किसी लाभार्थी के अभी तक आधार कार्ड न बने हों, ऐसे मामलों में खण्ड विकास अधिकारी/उप–जिलाधिकारी के माध्यम से आधार कार्ड तैयार करने हेतु सम्बंधित जनपद के लिये नामित एजेन्सी से सम्पर्क कर उन लाभार्थियों के आधार कार्ड बनवाने की कार्यवाही की जाए।

इस सम्बंध में अवगत कराना है कि नीति आयोग एवं प्रदेश सरकार के संयुक्त कार्यकारी दल द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये तैयार किये गये एक्शन प्लान एवं टाइम लाइन के अनुसार आधार सीडिंग एवं आधार सत्यापन के कार्य को सितम्बर, 2017 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिसका उच्च स्तर पर निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है किन्तु प्रदेश में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से भरण पोषण अनुदान प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के आधार सीडिंग की प्रगति मात्र 51 प्रतिशत है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद में दिव्यांग पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के आधार कार्ड सीडिंग से सम्बन्धित कार्य को नीति आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा सितम्बर, 2017 तक पूर्ण कराने हेतु आपका व्यक्तिगत सहयोग अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में जनपद में तैनात जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को भी अपने स्तर से दिशा–निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय,

समस्त, जिलाधिकारी, (नाम से)
उ०प्र०।

(अनूप कुमार यादव)

प्रतिलिपि–प्रमुख सचिव,दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,उ०प्र०शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।

(अनूप कुमार यादव)